न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 177/2007

वदीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 शान्तीदेवी पत्नी जेठमल 2 आनंदीदेवी पत्नी भरतलाल 3 मीना पत्नी गणपत कुमार पिसरान आदमल उर्फ आईदानमल जाति शाकलद्वीपी ब्राहमण निवासी खांगल मौहल्ला बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 मोहनलाल उर्फ मनोहरलाल फौत के कायम मुकाम 1/1 मंजूदेवी पत्नी मोहनलाल 1/2 प्रदीप कुमार 1/3 आशिष 1/4 लक्ष्मी पिसरान मोहनलाल 2 रविशंकर 3 भवानीशंकर पिसरान आदमल उर्फ आईदानमल 4 देवी पत्नी बद्रीप्रसाद 5 लेखराज 6 बेबी 7 उषा 8 सुशीला पिसरान बद्रीप्रसाद 9 शोभादेवी पत्नी जयनारायण 10 नारायणी पुत्री सागरमल पत्नी दुर्गाप्रसाद 11 वीणा 12 विजयराज 13 दिनेश उर्फ विनेश 14 गुडी पिसरान जयनारायण 15 कमला पुत्री सागरमल पत्नी मोहनलाल 16 मंजूदेवी पत्नी मेवाराम जाति शाकलद्वीपी ब्राहमण निवासी खांगल मौहल्ला बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील मेराजा, वकील वादीगण।
2. श्री राजेश विश्नोई, वकील प्रतिवादीगण।
3. श्री ईश्वरसिंह, वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 17.11.2017

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि पक्षकारान हिन्दु है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एक पिता की सम्पति में पुत्र पुत्रियों एवं माता का समान हिस्सा होता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक खातेदारी की भूमि वर्तमान राजस्व ग्राम वीदासर के खसरा संख्या 1354 रकबा 11.02 बीघा, खसरा संख्या 1356 रकबा 0.05 बीघा तथा खसरा संख्या 1357 रकबा 78.08 बीघा की आई हुई है। उक्त भूमि में वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 04 से 16 का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का है और इसी अनुसार कब्जा काश्त हैं। समस्त पक्षकारान स्वर्गीय प्रागा उर्फ प्रागचन्द के वंशज है। वक्त पैमाईश सम्वत् 2010–2011 में स्वर्गीय प्रागचन्द के दोनों पुत्रों सागरा एवं आदा उर्फ आईदानमल के नाम से अंकित होने थे, परन्तु सागरा द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त समस्त भूमि अपने नाम अंकित करवा दी। सागरमल की मृत्यु पर उक्त गलती को दोहराते हुए केवल सागरमल के उतराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किये गये। उक्त अंकन के दौरान पुत्रियों के नाम दर्ज नही किये गये, जो विधि सम्मत नही है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा उनकी माता को वंचित रखते हुए राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु एक वाद मोहनलाल बनाम लेखराज क्रमांक 27/1996 दर्ज करवाया, जो दिनांक 28.04.1997 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया। उक्त तथ्यों की जानकारी वादीनीगण को नही होने दी गई। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एवं शेष प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 द्वारा ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया तथा संख्या 04 से 16 द्वारा वाद कथन को अस्वीकार करते हुए जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि स्वर्गीय प्रागा की मृत्यु सेटलमेन्ट से पूर्व हो चुकी थी तथा प्रागा के दोनों पुत्र सागरा

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

एवं आदा के नाम सेटलमेन्ट के समय अलग–अलग खेत दर्ज हो गये थे तथा उसी अनुसार कब्जा काश्त है। वाद खारिज योग्य है।

दिनांक 06.10.2017 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर एक राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों ही एक ही वंश के सदस्य है तथा समाज के मोजीज व्यक्तियों, रिश्तेदारों द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा करवा दिया है। इस राजीनामा के मुताबिक वादग्रस्त भूमि में डिकरी पारित करवाने का अनुरोध किया। राजीनामा बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया तथा संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पक्षकारान एक ही पूर्व पुरूष के वंशज है तथा लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया है। राजीनामा के अनुसार वर्तमान राजस्व ग्राम वीदासर के खसरा संख्या 1354 वर्तमान खसरा संख्या 2430/1354 रकबा 07.03 बीघा में से 01.09 बीघा दक्षिण दिशा में एवं खसरा संख्या 2432/1354 रकबा 03.11 बीघा जो सलंग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है, को वादीगण संख्या 01 से 03 व प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम मंजु, प्रदीप, आशीष व लक्ष्मी तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की संयुक्त खातेदारी में घोषित करने की सहमति व्यक्त की है। शेष खसरा संख्या 1356 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 1357 रकबा 78.08 बीघा तथा खसरा संख्या 2430/1354 की शेष भूमि 05.14 बीघा प्रतिवादी संख्या 04, 05, 09, 12, 13 व 16 की खातेदारी की यथावत रहेगी, तथा प्रतिवादी संख्या 04, 05, 09, 12, 13 व 16 द्वारा खसरा नम्बर 1357 में बेचान की गई भूमि पर वादीगण ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

अतः प्रस्तुत वाद राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व ग्राम वीदासर के खसरा संख्या 1354 वर्तमान खसरा संख्या 2430/1354 रकबा 07.03 बीघा भूमि में से 01.09 बीघा दक्षिण दिशा की एवं खसरा संख्या 2432/1354 रकबा 03.11 बीघा जो सलंग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई है, वादीगण संख्या 01 से 03 व प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम मंजु, प्रदीप, आशीष व लक्ष्मी तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की संयुक्त खातेदारी में घोषित की जाती है तथा इसी खसरा नम्बर 2430/1354 की शेष भूमि 05.14 बीघा सम्बन्धित खातेदारान की खातेदारी में यथावत कायम रहेगी। संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 17.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वदीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 शान्तीदेवी पत्नी जेठमल 2 आनंदीदेवी पत्नी भरतलाल 3 मीना पत्नी गणपत कुमार पिसरान आदमल उर्फ आईदानमल जाति शाकलद्वीपी ब्राहमण निवासी खांगल मौहल्ला बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 मोहनलाल उर्फ मनोहरलाल फौत के कायम मुकाम 1/1 मंजूदेवी पत्नी मोहनलाल 1/2 प्रदीप कुमार 1/3 आशिष 1/4 लक्ष्मी पिसरान मोहनलाल 2 रविशंकर 3 भवानीशंकर पिसरान आदमल उर्फ आईदानमल 4 देवी पत्नी बद्रीप्रसाद 5 लोराज 6 बेबी 7 उषा 8 सुशीला पिसरान बद्रीप्रसाद 9 शोभादेवी पत्नी जयनारायण 10 नारायणी पुत्री सागरमल पत्नी दुर्गाप्रसाद 11 वीणा 12 विजयराज 13 दिनेश उर्फ विनेश 14 गुडी पिसरान जयनारायण 15 कमला पुत्री सागरमल पत्नी मोहनलाल 16 मंजूदेवी पत्नी मेवाराम जाति शाकलद्वीपी ब्राहमण निवासी खांगल मौहल्ला बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 व 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 177/2007
निर्णय दिनांक :– 17.11.2017

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.11.2017 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी दी जाती है कि :–

वादीगण वाद राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व ग्राम वीदासर के खसरा संख्या 1354 वर्तमान खसरा संख्या 2430/1354 रकबा 07.03 बीघा भूमि में से 01.09 बीघा दक्षिण दिशा की एवं खसरा संख्या 2432/1354 रकबा 03.11 बीघा जो सलंग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई है, वादीगण संख्या 01 से 03 व प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम मंजु, प्रदीप, आशीष व लक्ष्मी तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की संयुक्त खातेदारी में घोषित की जाती है तथा इसी खसरा नम्बर 2430/1354 की शेष भूमि 05.14 बीघा सम्बन्धित खातेदारान की खातेदारी में यथावत कायम रहेगी। संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह निर्णय आज तारीख 17.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner